## 1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1069/2012

न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 1069 / 2012</u> संस्थापित दिनांक 31 / 12 / 2012

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > <u>..... अभियोजन</u>

बनाम

ऋषी छारी पुत्र स्व० श्री प्रकाशचन्द्र छारी उम्र 31 साल निवासी हनुमान नगर गोले का मंदिर, ग्वालियर

...... अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा—7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955) (राज्य द्वारा एडीपीओ—श्री प्रवीण सिकरवार।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री प्रवीण गुप्ता।)

## ::- नि र्ण य -:: (आज दिनांक 23.12.17 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8:00 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु दिए गए शासकीय गेंहूं का विधि विरूद्ध रूप से भण्डारण एवं विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का उल्लंघन करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि शासकीय उत्कृष्ट कन्या अनुसूचित जाति छात्रावास गोहद की अधीक्षिका ऋचा छारी को छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु शासकीय गेहूं प्रदान किया जाता था जो कि अधीक्षिका के छात्रावास से लगे शासकीय आवास में रखा हुआ था। दिनांक 08.10.11 को शाम को पटवारी अमरसिंह कोरकू को दूरभाष से सूचना मिली थी कि उक्त गेहूं को कोई व्यक्ति बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा है वह मौके पर पहुंचा था तो उसने देखा था कि अधीक्षिका का भाई ऋषी छारी एवं उसका साथी शासकीय गेहूं को बुलेरो मैक्स लोडिंग वाहन में भरकर बेचने के

लिए तैयार खंडे थे तब उसने उक्त गांडी को रोककर तहसीलदार गोहद को सूचित किया था। तहसीलदार गोहद कोटवार रामअवतार को साथ लेकर मौके पर पहुंचे थे एवं देखा था कि उक्त वाहन में साढे 14 बोरी शासकीय गेहूं लदा हुआ था। प्रत्येक बोरी का वजन लगभग 50 किलो था। अधीक्षिका का कमरा खुला हुआ पाया गया था उसके द्वारा आश्रम के चौकीदार दीपचंद एवं कोटवार रामवतार के समक्ष गेहूं की जप्ती की गई थी तथा मौके पर पंचनामा तैयार किया गया था। फरियादी अमर सिंह द्वारा घटना के संबंध में थाना प्रभारी गोहद को लेखीय आवेदन दिया गया था। उक्त आवेदन के आधार पर पुलिस थाना गोहद में अप0 क0 216 / 11 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामीका बनाया गया था। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे। आरोपी को गिरफतार किया गया था एवं विवेचनापूर्ण होने पर अभियोगपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- उक्त अनुसार आरोपी के विरुद्ध अपराध विवरण निर्मित किया गया। आरोपी को अपराध की विशिष्टयां पढ़कर सुनाई व समझाई जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झुटा फंसाया गया है।

## इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुआ है :-5.

- क्या आरोपी ने दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8:00 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेत् दिए गए शासकीय गेंहूं का विधि विरूद्ध रूप से भण्डारण एवं विकय किया?
- उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की और से साक्षी दीपचन्द अ०सा०1, एस०डी०एम० आर०एस० बाकना अ०सा०२, नबाव अ०सा०३, प्रेमचंद अ०सा०४, रामऔतार अ०सा०५, ए० एस0आई0 तहसीलदार सिंह भदौरिया अ0सा06, ए0एस0आई0 लक्ष्मण सिंह गौड अ0सा07 एवं सेवानिवृत्त एस0आई0 एस0बी0 सिंह राठौर अ0सा08 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

## निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न कुमांक 1

उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में एस0डी0एम0 आर0एस0 बाकना अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषी छारी को नहीं जानता है। घटना के समय वह गोहद में तहसीलदार के पद पर पदस्थ था। वर्ष 2012 की घटना है उसे मोबाइल पर सूचना मिली थी कि जेल के पास स्थित कन्या आश्रम में छात्रावास का गेहूं वाहन में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है वह एवं पटवारी हल्का मौके पर पहुंचे थे वहां वाहन में गेहूं के करीब साढे 14 बोरे जिसमें प्रत्येक बोरे में 50 किलो वजन था, लोडिंग वाहने में रखे हुए थे। उसे बताया गया था कि

छात्रावास की अधीक्षिका छारी द्वारा गेहूं बेचने के लिए ले जाया जा रहा था उक्त वाहन का मौके पर पंचनामा बनाकर वाहन को थाने ले जाया गया था जहां पर थाना प्रभारी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई थी। काफी समय हो चुका है। उसे लोडिंग वाहन का नंबर याद नहीं है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह वहां पहुंचा था तो वहां पर दो लड़के गेहूं भर रहे थे उसे उनका नाम मालूम नहीं था वह उसकी गाडी को देखकर भाग गए थे उसे उस गाडी का नंबर याद नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पद क03 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे मोबाइल पर किसी पत्रकार द्वारा सूचना दी गई थी। उस पत्रकार का नाम उसे याद नहीं है। सूचना मिलने के बाद वह शासकीय वाहन से मौके पर पहुंचा था उसके साथ पटवारी कोरकू भी था। पद क04 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह ऋषी छारी को नहीं पहचानता है वह ऋषी छारी का नाम चौकीदार के बताए अनुसार बता रहा है। घटनास्थल से जो लड़के भागे थे वह उन्हें नहीं देख पाया था। बुलेरो गाडी का ड्राइवर नहीं भागा था, वह मौके पर ही था।

- 8. साक्षी दीपचंद आ०सा०1 ने व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषी छारी को जानता है। उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए थे। उसे नहीं मालूम कि वह कागज किसके थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी—1 लगायत 3 के कमशः ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है।
- 9. साक्षी नवाब अ०सा०३ ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 5-6 साल पहले की है। वह बुलेरो गाड़ी चलाता है। दो लोग उसके पास आये थे और उन्होंने उससे भाड़ा ले जाने के लिए कहा था उन्होंने बोला था कि छात्रावास से गेंहूं पिसने जाना है भाड़े के दो सौ रूपये तय हुए थे फिर वह हिरजन छात्रावास के गेट के सामने खड़ा था दोनों लोग अंदर सामान लेने चले गये थे तब एस०डी०एम० वगैरह आ गये थे एस०डी०एम० ने कहा था कि गाड़ी अंदर ले चलो तो वह गाड़ी अंदर ले गया था फिर एस०डी०एम० एवं तहसीलदार महोदय ने उसकी गाड़ी में गेंहूं लदवा दिए थे और गाड़ी को थाने ले चलने के लिए कहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया है कि ऋषि छारी एवं उसके साथ आये एक अन्य व्यक्ति ने उसे गेंहूं पिसाने के लिए बस स्टैण्ड गोहद के पास वाली चक्की पर चलने के लिए कहा था एवं इस सुझाव से भी इंकार किया है कि ऋषि छारी एवं उसके साथ आये एक अन्य लड़के ने 14 कट्टे भरवाये थे। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 3 में उक्त साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि हाजिर अदालत आरोपी उसे कभी भी भाड़े पर गाड़ी ले जाने के लिए बुलाने नहीं आया था और ना ही वह हाजिर अदालत आरोपी को जानता है।
- 10. साक्षी प्रेमचन्द अ०सा०४ ने भी न्यायालय के समक्ष अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। साक्षी रामौतार अ०सा०५ ने भी अपने कथन में घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने

मात्र जप्ती पंचनामा प्र0पी—1, पंचनामा प्र0पी—2, एवं जप्ती पंचनामा प्र0पी—3 के क्रमशः बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उक्त साक्षी ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है।

- 11. ए०एस०आई० तहसीलदारसिंह अ०सा०६ ने प्र०पी—१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। ए०एस०आई० लक्ष्मणसिंह गौण अ०सा०७ ने विवेचना के दौरान आरोपी ऋषि छारी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—10 तैयार करना बताया है एवं सेवानिवृत्त एस०आई० एस०बी०सिंह राठौर अ०सा०७ द्वारा विवचेना को प्रमाणित किया गया है।
- 12. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है। अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है।
- 13. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी अमरिसंह कोरकू की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परीक्षित नहीं कराया जा सका है। साक्षी एस0डी0एम0 आर0एस0 बाकना अ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि वह आरोपी ऋषि छारी को नहीं जानता है। घटना वाले दिन उसे मोबाइल पर सूचना मिली थी कि छात्रावास का गेंहूं वाहन में लादकर बेचने के लिए ले जाया जा रहा है तो वह पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा था और उसने करीब साढ़े चौदह बोरे गेंहूं लोडिंग वाहन में रखे हुए थे उसे बताया गया था कि छात्रावास की अधीक्षिका छारी द्वारा गेंहूं बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षिवराधी घोषितक र प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि जब वह वहां पहुंचा था तो वहां पर दो लड़के गेंहूं भर रहे थे जो उसकी गाड़ी को देखकर भाग गये थे उसे उन लड़कों का नाम मालूम नहीं है। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्र0पी—2 के पंचनामें में यह लिखा है कि उस समय छात्रावास अधीक्षिका का भाई मौजूद था तथा यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त बात उसे वाहन चालक नवाब द्वारा बतायी गयी थी जब वह पहुंचा था तब तक वह भाग गया था। प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि वह ऋषि छारी को नहीं जानता है उसने ऋषि छारी का नाम चौकीदार के बताये अनुसार बताया है। घटनास्थल से जो लड़के भागे थे वह उन्हें नहीं देख पाया था।
- 14. इस प्रकार आर0एस0 बाकना अ0सा02 के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी ने मौके पर आरोपी ऋषि छारी को नहीं देखा था एवं वह आरोपी ऋषि छारी को नहीं जानता है। उक्त साक्षी का यह भी कहना है कि उसने प्र0पी—2 के पंचनामें में ऋषि छारी का नाम नवाब के बताये अनुसार लिखायी थी एवं उसने स्वयं ऋषि छारी को मौके पर नहीं देखा था। इस प्रकार आर0एस0 बाकना अ0सा02 के कथनों से यह प्रकट होता है कि उक्त साक्षी ने आरोपी ऋषि छारी को मौके पर गेंहूं ले जाते हुए नहीं देखा था। जहां तक नवाब अ0सा03 के कथन का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि आर0एस0 बाकना अ0सा02 ने यह बताया है कि उसने प्र0पी—2 के पंचनामें में छात्रावास अधीक्षिका के भाई के मौजूद होने की बात नवाब द्वारा बतायी गयी थी परन्तु नवाब अ0सा03 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि वह हाजिर अदालत आरोपी को नहीं जानता है तथा घटना वाले दिन उसे दो लोग गेंहूं पिसाने के लिए दो सौ रूपये भाड़े पर हरिजन छात्रावास ले गये थे वह गाड़ी लेकर

बाहर खड़ा था तभी एस0डी0एम0 साहब आ गये थे तथा एस0डी0एम0 साहब व तहसीलदार महोदय ने उसकी गाड़ी में गेंहूं लदवा दिए थे और गाड़ी थाने ले चलने के लिए कहा था। उक्त साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त साक्षी ने इस तथ्य से इंकार किया है कि आरोपी ऋषि छारी उसके पास आया था एवं इस तथ्य से भी इंकार किया है कि ऋषि छारी व उसके साथ के एक लड़के ने साढ़े चौदह कट्टे उसकी गाड़ी में भरवाये थे।

- 15. इस प्रकार साक्षी नवाब अ०सा०३ के कथनों से यह दर्शित है कि उक्त साक्षी द्वारा भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है तथा इस तथ्य से इंकार किया गया है कि आरोपी ऋषि छारी ने उसकी गाड़ी में साढ़े चौदह बोरी गेंहूं के कट्टे रखे थे उक्त साक्षी ने हाजिर अदालत आरोपी की पहचान भी नहीं की है। साक्षी नवाब अ०सा०३ द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। अतः उक्त साक्षी के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 16. साक्षी दीपचन्द्र अ०सा०१ ने भी अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है तथा व्यक्त किया है कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। साक्षी रामौतार अ०सा०५ ने भी घटना की जानकारी न होना बताया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण ने मात्र जप्ती पंचनामा प्र०पी—1, पंचनामा प्र०पी—2 एवं जप्ती पंचनामा प्र०पी—3 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण को अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर प्रतिपरीक्षण किए जाने पर उक्त दोनों ही साक्षीगण ने अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 17. ए०एस०आई० तहसीलदारिसंह अ०सा०६ द्वारा प्र०पी—१ की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। ए०एस०आई० लक्ष्मणिसंह गौण अ०सा०७ ने प्र०पी—10 के गिरफतारी पंचनामे को प्रमाणित किया है। उक्त दोनों ही साक्षी प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। सेवानिवृत्त एस०आई० एस०बी०िसंह राठौर अ०सा०८ द्वारा प्रकरण में विवेचना को प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह बताया है कि पटवारी अमरिसंह स्वयं बुलेरों गाड़ी लेकर थाने पर आया था जिसमें गेंहूं के कट्टे रखे थे परन्तु उक्त साक्षी के कथनों से भी यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ऋषि छारी छात्रावास का गेंहूं विक्रय हेतु ले जा रहा था। ए०एस०आई० तहसीलदारिसंह अ०सा०६, ए०एस०आई० लक्ष्मणिसंह गौण अ०सा०७ एवं एस०बी०िसंह राठौर अ०सा०८ प्रकरण में औपचारिक साक्षी हैं उक्त साक्षीगण घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है। अतः उक्त साक्षीगण के कथनों से भी आरोपी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होता है।
- 18. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में फरियादी अमरिसंह कोरकू की मृत्यु हो जाने के कारण अभियोजन द्वारा उक्त साक्षी को परिक्षित नहीं कराया जा सका है शेष साक्षी दीपचन्द अ0सा01, आर0एस0 बाकना अ0सा02, नवाब अ0सा03, प्रेमचन्द अ0सा04 एवं रामौतार अ0सा05 द्वारा अभियोजन घटना का समर्थन नहीं किया गया है एवं आरोपी के विरुद्ध कोई कथन नहीं दिया गया है। शेष साक्षी ए0एस0आई0 तहसीलदार सिंह अ0सा06, ए0एस0आई0 लक्ष्मणिसंह गौण अ0सा07 एवं एस0बी0सिंह राठौर अ0सा08 प्रकरण के औपचारिक साक्षी हैं। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की

गयी है जिससे यह दर्शित होता हो कि आरोपी ऋषि छारी घटना दिनांक को छात्रावास का गेंहू विधि विरुद्ध रूप से ले जा रहा था। ऐसी स्थिति में अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है।

- यह अभियोजन का दायित्व है कि वह आरोपी के विरुद्ध अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित करे यदि अभियोजन मामला संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहता है तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित है।
- प्रस्तृत प्रकरण में अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 08.10.11 को शाम करीबन 8 बजे शासकीय अनुसूचित जाति उत्कृष्ट कन्या छात्रावास जेल के पास गोहद में छात्रावास की बालिकाओं के भोजन हेतु दिए गए शासकीय गेंहूं का विधि विरुद्ध रूप से भण्डारण एवं विक्रय किया। फलतः यह न्यायालय आरोपी ऋषि छारी को संदेह का लाभ देते हुए उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किए जाते हैं। 21.
- प्रकरण में जप्तशुदा बुलेरो मैक्स क्रमांक एम0पी0-30-जी.0576 अपील अवधि पश्चात उसके पंजीकृत स्वामी की सुपूर्दगी पर दी जावे एवं जप्तशुदा साढे चौदह बोरी गेंहूं के कट्टे अपील अवधि पश्चात जिला आपूर्ति अधिकारी की ओर विधिवत निराकरण हेतु भेजे जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक - 23-12-2017

निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

सही / – (प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

सही / – (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)